| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 21/9/20 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक [illegible] न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 2/11/2020 को पेश हो।<br>[signature]<br>उपखंड अधिकारी पदेन<br>सहायक कलक्टर करेड़ा |
| 2/11/20 | उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/प्रशिक्षण है~~ अतः पत्रावली दिनांक 23/11/2020 को पेश हो।<br>[signature]<br>रीडर<br>उपखण्ड अधिकारी करेड़ा |
| 23/11/20 | उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ~~राजकीय~~ अनाप ~~कार्य से बाहर है।~~ ~~अवकाश पर है/प्रशिक्षण है~~ अतः पत्रावली दिनांक 18/01/2021 को पेश हो।<br>[signature]<br>रीडर<br>उपखण्ड अधिकारी करेड़ा |
| 18/01/2021 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील विपक्षीगण की ओर से भी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने संशोधित अनवान पेश किया जिसकी प्रति वकील विपक्षीगण को दी गई। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी सरहद रेट परवाना हल्का। दही [illegible] मांडल [illegible] खाता सं. 25 [illegible] 210 रकबा 10 बीघा है। उक्त [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में चली आरही है। उक्त आराजी पर काबिज होकर उसका<br>[signature]<br>उपखंड अधिकारी पदेन<br>सहायक कलक्टर करेड़ा |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

प्र०सं० 105/17 (पुराना प्र०सं० 61/08)

| हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| | |

उपयोग, उपभोग, करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित अराजी से विपक्षीगण का कोई हक वास्ता नहीं है। विपक्षीगण की नियत में फितूर होने से प्रार्थीगण की अराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल करना चाहते है और इसी नियत से आये दिन विपक्षीगण प्रार्थीगण की अराजी के लगे पेड़ों को काट देते हैं। प्रार्थीगण गरीब एवं कमजोर हैं तथा विपक्षीगण, प्रार्थीगण ताकतवर है, अगर विपक्षीगण, प्रार्थीगण को उक्त अराजी से बेदखल कर अपना कब्जा कर लेंगे तो प्रार्थीगण अपनी उक्त अराजी से वंचित हो जायेंगे और प्रार्थीगण व उसके परिवारजन भूखे मर जायेंगे व प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, यदि विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, ऐसी सूरत में ताफैसला विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध ताफैसला [illegible] अराजी की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि ग्राम रेह पहाड़ी स्थित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
|---|---|
| | मैं स्थित प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी नं० 1260 रकबा 10 बीघा से प्रार्थीगण के उपभोग, उपयोग में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा या रुकावट पैदा नहीं करें और प्रार्थीगण को उक्त आराजी से या इसके किसी भाग से जबरन बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें। प्रकरण में विपक्षीगण के वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में जिस तरह से तथ्यों का वर्णन किया है गलत होने से अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि आ०नं० 1260 रकबा 10 बीघा भूमि सरहद देह परवर हल्का पटवार तहसील मांडल हाल करेड़ा जिसके पुराने आ०नं० 567 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है किन्तु विपक्षीगण ने संवत 2018 की भादवा बदी नोमी को जरिये बिक्री व स्वीकृति इकरार के 1500/- रुपये में विपक्षी सं० 1 के पिता श्री बरदा बलाई ने प्रार्थीगण से क्रय की है तथा क्रय से विपक्षी सं० 1 के पिता श्री बरदा बलाई का कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थीगण ने ... कब्जा सौंप दिया था ... है। विपक्षी सं० 1 ... विपक्षीगण व उनके ... उक्त कृषि भूमि ... काबिज होकर इसका उपभोग, उपयोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि का लगान आदि भी जमा कराते आ रहे हैं। |

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

| हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| उक्त वर्णित विक्रय संबंधी इकरार के अनुसार प्रार्थीगण ने विपक्षी सं० 1 के पक्ष में विपक्षी सं० 1 के पिता श्री बरदखराम के नाम दिनांक 28/5/1974 को विक्रय की रजिस्ट्री भी करवा दी गई है। विपक्षी सं० 1 विक्रयपत्र से उक्त वर्णित कृषि आराजी पर लगभग 45 साल से काबिज होकर काश्तकारी कर रहे है। प्रार्थीगण का वर्णित आराजी से कोई संबंध नहीं है व न ही काबिज है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण की नियत में फितूर आने से विपक्षीगण से नाजायज पैसा ऐंठने की गरज से विपक्षीगण के विरुद्ध गलत तथ्यों का आधार बनाकर यह प्र०पत्र प्रस्तुत किया है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थीगण से विपक्षीगण से उक्त वर्णित भूमि क्रय करने उपरांत वादग्रस्त आराजी नं० 1260 पर एक कुंए का निर्माण 15-20 वर्ष पूर्व करवाया जिस पर करीब 50,000/- रु० का खर्चा आया है व पक्का है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र में झूठे व गलत तथ्यों का वर्णन किया है जो गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित आ० नं० 1260 रकबा [illegible] बीघा का बक्त विक्रय संवत 2018 को [illegible] विपक्षीगण [illegible] होकर बिना किसी [illegible] उपभोग व काश्त करते चले आ रहे है व आज भी काबिज है व [illegible] भी विपक्षीगण काश्त करते है। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipat Singh
Date: 2021.03.26 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
| --- | --- |
| | अतः प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टया मामला है एवं न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी गण वाद ग्राम [illegible] से संबंधित नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए [illegible] खर्चे के खारिज फरमाया जावे। |
| | पत्रावली पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार वादग्रस्त आराजी नं0 1260 वाके ग्राम [illegible] पट्टवार हल्का दहीमथा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण के अधिवक्ता के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी का विपक्षीगण को प्रार्थीगण ने संवत 2018 में विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था। तब से उक्त वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण काबिज/कब्जा काश्त एवं उपभोग उपयोग चला आ रहा है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण के कब्जे वगैरह का विनिश्चय [illegible] निर्णयन [illegible] है। तब तक [illegible] आराजी की मूल वाद के निर्णय तक [illegible] की यथास्थिति बनाए रखने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी [illegible]
सहायक कलक्टर [illegible]
सहायक [illegible]

| हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में ता फैसला दावा मौके की यथास्थिति बनाए रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो। यह पत्रावली मूल दावे की पत्रावली के साथ संलग्न हो।<br>निर्णय से इजलास सुनाया गया।<br>उपखंड अधिकारी पदेन<br>सहायक कलक्टर करेड़ा | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested